प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 13.01.2026**

थाना शिवली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 11.01.2026 की देर रात्रि थाना शिवली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मलिकपुर में हुई मारपीट की घटना में घायल व्यक्ति की उपचार के दौरान हैलट अस्पताल कानपुर नगर में मृत्यु हो जाने की घटना से संबंधित अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त 02 डण्डों के साथ किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, दिनांक 12.01.2026 को वादिनी श्रीमती गोमती पुत्री देवकीनन्दन निवासिनी ग्राम मलिकपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 11.01.2026 को समय करीब 11.30 बजे रात्रि को वादिनी की माता ममता व पिता देवकीनन्दन के साथ विपक्षीगण 1. गोविन्द पुत्र वीरेन्द्र ठाकुर 2. श्रीमती संगम पत्नी गोविन्द 3. अन्य अज्ञात साथी द्वारा गाली-गलौज करना, गाली देने से मना करने पर मारपीट करना, जिससे वादिनी के माता-पिता (दोनों लोगों) का गम्भीर रूप से घायल हो जाना व मारपीट से वादिनी के पिता का मौके पर ही बेहोश हो जाना, के संबंध में दिनांक 12.01.2026 को समय 02.19 बजे (रात्रि) थाना शिवली पर मु0अ0सं0 019/2026 धारा 110/115(2)/352 बीएनएस व 3(2)(5A) एससी/एसटी एक्ट बनाम 1. गोविन्द पुत्र वीरेन्द्र ठाकुर, 2. श्रीमती संगम पत्नी गोविन्द निवासीगण ग्राम मलिकपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात, 3. अन्य अज्ञात साथी नाम व पता अज्ञात पंजीकृत किया गया। घायल देवकीनन्दन उपरोक्त की इलाज के दौरान हैलट अस्पताल जनपद कानपुर नगर में उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व विवचना के क्रम में प्राप्त साक्ष्यों/तथ्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 110 बीएनएस व 3(2)(5A) एससी/एसटी एक्ट का लोप किया गया एवं 103(1)/109(1) बीएनएस व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट की वृद्धि की गयी है।

मुकदमा उपरोक्त में थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये मुखबिर की सूचना पर घटना कारित करने वाले वाले 06 अभियुक्तगण 1. गोविन्द सिंह पुत्र स्व0 वीरेन्द्र सिंह उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम मलिकपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात 2. श्रीमती संगम देवी पत्नी गोविन्द सिंह उम्र करीब 35 वर्ष निवासिनी ग्राम मलिकपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात व प्रकाश में आये 3. आकाश सिंह उर्फ छोटू पुत्र रामसेवक सिंह उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम अठावल थाना ललौली जनपद फतेहपुर हाल निवासी नई बस्ती मिर्जापुर कल्याणपुर नियर जंगलेश्वर मंदिर आराध्या जनरल स्टोर के पास संध्या तिवारी के मकान में किराये पर थाना कल्यानपुर जनपद कानपुर नगर 4. विजय सिंह उर्फ गोरे पुत्र स्व0 रामसेवक सिंह उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम अठावल थाना ललौली जनपद फतेहपुर हाल निवासी नई बस्ती मिर्जापुर कल्याणपुर नियर जंगलेश्वर मंदिर आराध्या जनरल स्टोर के पास संध्या तिवारी के मकान में किराये पर थाना कल्याणपुर जनपद कानपुर नगर 5. अनूप सिंह पुत्र विशाल सिंह उम्र करीब 28 वर्ष

निवासी ग्राम अठावल थाना ललौली जनपद फतेहपुर हाल पता मोहल्ला चन्द नगरी उत्तम आईटीआई के पास सनिगंवा थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर (किराये का मकान) 6. अमन कमल पुत्र रामप्रकाश कमल उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम गंगरौली थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात हाल निवासी माँ दुर्गा अस्पताल के पीछे बारासिरोही घोड़ा वाली गली मकान मालिक बबलू राठौर के मकान में किराये पर थाना कल्याणपुर जनपद कानपुर नगर को आज दिनांक 13.01.2026 को समय 11.30 बजे मैथा नहर पटरी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. गोविन्द सिंह पुत्र स्व0 वीरेन्द्र सिंह उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम मलिकपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात
2. श्रीमती संगम देवी पत्नी गोविन्द सिंह उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम मलिकपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात

प्रकाश में आये अभियुक्तगण-

3. आकाश सिंह उर्फ छोटू पुत्र रामसेवक सिंह उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम अठावल थाना ललौली जनपद फतेहपुर हाल निवासी नई बस्ती मिर्जापुर कल्याणपुर नियर जंगलेश्वर मंदिर आराध्या जनरल स्टोर के पास संध्या तिवारी के मकान में किराये पर थाना कल्याणपुर जनपद कानपुर नगर
4. विजय सिंह उर्फ गोरे पुत्र स्व0 रामसेवक सिंह उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम अठावल थाना ललौली जनपद फतेहपुर हाल निवासी नई बस्ती मिर्जापुर कल्याणपुर नियर जंगलेश्वर मंदिर आराध्या जनरल स्टोर के पास संध्या तिवारी के मकान में किराये पर थाना कल्याणपुर जनपद कानपुर नगर
5. अनूप सिंह पुत्र विशाल सिंह उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम अठावल थाना ललौली जनपद फतेहपुर हाल पता मोहल्ला चन्द नगरी उत्तम आईटीआई के पास सनिगंवा थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर (किराये का मकान)
6. अमन कमल पुत्र रामप्रकाश कमल उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम गंगरौली थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात हाल निवासी माँ दुर्गा अस्पताल के पीछे बारासिरोही घोड़ा वाली गली मकान मालिक बबलू राठौर के मकान में किराये पर थाना कल्याणपुर जनपद कानपुर नगर

बरामदगी का विवरण

1. फील्ड युनिट द्वारा घटनास्थल से 02 डण्डे (घटना में प्रयुक्त) बरामद किये गये।
2. अभियुक्तगण की जामा तलाशी से प्राप्त 04 मोबाइल व कुल 1000 रुपये।

गिरफ्तार करने वाली थाना शिवली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवीण कुमार यादव
2. उ0नि0 श्री योगेन्द्र कुमार
3. हे0का0 229 मोहित यादव
4. का0 अंकुर अहलावत
5. का0 498 बोबी सिंह
6. का0 981 मो0 आसिम